□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य एंव परिवार कल्या□ □□□□□
□□□□□□
अतारांकित प्रश्न □ख्□:4124
19 □□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□
□□□□□□□ □द्र

4124. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:
श्री श्री□□□ □ष्□□ □□□□□
श्री □□.□□श्री□□□□:
प्रो. □□□□ □□□:
श्री □□□□ □स□:
□□□□□ □□□□ □□□न्□□□□□
श्री सुब्रत पाठक:
श्री□□□□ □□□□ □□□□ □□श्व□□□:
श्री □□यू□ □□□ □□□□:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□:
श्री □□□ ि□□□:
श्री □न्□श्री□□□□□□ □ड्डी:
श्री □□□□□□ □ष्□ □□□□□
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:
□□.□□. □□□□:
श्री □□□□ प्र□□□□ □ड्डी:
श्री □□□न्□□ □□□□□□:
श्री □□□□ □□□□□□:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या कोविड-19 का टीकाकरण 1 माच, 2024 से आम जन के लिए खोल दिया गया है जिसम 60 वष की आयु से अधिक और किसी बीमारी से ग्रसित 45 वष से अधिक आयु वग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस चरण म कितने लोगों को कवर किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस चरण म अधिक संख्या म लोगों को कवर करने के लिए टीकाकरण कद्रों की संख्या बढ़ाने का है और यदि हां, तो वतमान म आंध्र प्रदेश सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र- वार टीकाकरण कद्रों तथा संभावित बढ़ाए जाने वाले कद्रों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस संबंध म कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा क्या है?

(घ) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए कद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए कोई दिशा-निदश जारी किए ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस संबंध म क्या सुधारात्मक उपाय किए गए ह;

(ङ) क्या सरकार निजी अस्पतालों के कुप्रबंधन के कारण उनको सेवाओं का उपयोग करने म आशंकित है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो क्या निजी अस्पतालों को कोविडः टीकाकरण कद्र बनाया गया है, और यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों का राज्य वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

<u>□त्त□</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य □त्री□ (श्री□ □□श्वि□□ □□□□ □□□)□

(क) और (ख): कोविड- 19 के लिए वैक्सीन प्रदानगी के संबंध म राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) की सिफारिशों के अनुसार, 60 वष तथा उससे अधिक आयु के व्यक्तियों तथा 20 अभिज्ञात सहरूग्णताओं के साथ 45 से 59 वष के बीच व्यक्तियों को 1 माच, 2021 से देश म टीकाकरण प्रारंभ हो गया है।

सरकारी तथा प्राइवेट दोनों स्वास्थ्य सुविधा कद्रों म कोविड- 19 टीकाकरण कद्रों की संख्या म बढ़ोत्तरी कर कोविड- 19 टीकाकरण की गति म और तेजी लाई जा रही है।

कोविड- 19 टीकाकरण एक निरंतर तथा गतिशील प्रक्रिया है जिसका विस्तार, कोविड- 19 के लिए वैक्सीन प्रदानगी के संबंध म राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह (एनईजीवीएसी) द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार लाभार्थी समूहों को शामिल करने के लिए किया जा रहा है। कोविड- 19 महामारी की सक्रिय एवं विकसित होने वाली प्रकृति और नए तथा अतिरिक्त प्राइवेट कोविड- 19 टीकाकरण कद्रों के निरंतर रूप से शामिल होने के मद्देनजर वतमान म टीकाकरण अभियान के लिए निधारित संख्या नही दशाई जा सकती है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने उन प्राइवेट सुविधा केद्रों के अतिरिक्त प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा कद्रों को अनुमति देने हेतु, चार राज्यो (दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना) से प्राप्त हुए अनुरोधों पर कारवाई प्रारंभ कर दी है, जो एबी- पीएमजेएवाई, सीजीएचएस,राज्य स्वास्थ्य बीमा स्कीमों के तहत कोविड- 19 टीकाकरण कद्रों (सीवीसी) के रूप म पहले से ही पैनलबद्ध ह।

(घ): को-विन 2.0 पोटल के संबंध म दिशानिदश तथा कोविड- 19 टीकाकरण के लिए नागरिकों के पंजीकरण तथा समय निधारण प्रक्रिया के संबंध म दिशानिदश आम जनता के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध ह। उक्त प्रयोजन के लिए कद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों हेतु विशेष एवं अलग से कोई दिशानिदश जारी नही किए गए ह।

(ङ) से (च): सरकार कोविड- 19 टीकाकरण के लिए प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधाकद्रों की सेवाओं का उपयोग करने के प्रति आशंकित नहीं है। वास्तव म, प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा कद्र जो निधारित मानदंडों को पूरा करते ह, उनका उपयोग पहले ही किया जा जा रहा है तथा वे कोविड- 19 टीकाकरण कद्रों के रूप म टीकाकरण उपलब्ध करा रहे ह। प्राइवेट कोविड- 19 टीकाकरण कद्रों को शामिल करना एक सतत् प्रक्रिया है, तथापि, 15 माच, 2021 तक को-विन पर पंजीकृत प्राइवेट सीवीसी की संख्या अनुलग्नक म दी गई है।

15 माच, 2021 की स्थिति के अनुसार को-विन पोटल पर पंजीकृत प्राइवेट कोविड- 19 टीकाकरण केंद्रों (सीवीसी) की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	823
3	अरुणाचल प्रदेश	2
4	असम	281
5	बिहार	308
6	चंडीगढ़	19
7	छत्तीसगढ	364
8	दादरा और नगर हवेली	0
9	दमन और दीव	0
10	दिल्ली	232
11	गोवा	64
12	गुजरात	1,628
13	हरियाणा	1,964
14	हिमाचल प्रदेश	58
15	जम्मू और कश्मीर	91
16	झारखंड	289
17	कनाटक	2,042
18	केरल	505
19	लद्दाख	22
20	लक्षद्वीप	0
21	मध्य प्रदेश	447
22	महाराष्ट्र	1,764
23	मणिपुर	35
24	मेघालय	26
25	मिजोरम	103
26	नगालड	29
27	ओडिशा	514
28	पुद्दुचेरी	13
29	पंजाब	1,291
30	राजस्थान	1,298
31	सिक्किम	1
32	तमिलनाडु	1,491
33	तेलंगाना	1,254
34	त्रिपुरा	14
35	उत्तर प्रदेश	1,872
36	उत्तराखंड	97
37	पश्चिम बंगाल	481
	[illegible]	19,422